होम्योपैथिक विभाग उत्तराखण्ड।

आउटकम बजट प्रारूप 2017–18

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले (धनराशि लाख में)		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
1	निदेशन तथा प्रशासन	विभाग में मानव संसाधन की समुचित व्यवस्था किया जाना। विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु नीति निर्धारण। विभाग की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना तैयार करना तथा एन0एच0एम0 के अन्तर्गत राज्य कार्ययोजना तैयार कराकर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना।	125.52	0	निदेशालय स्तर पर कुल 31 पद स्वीकृत हैं, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालयों, जिला कार्यालयों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर नियंत्रण रख उचित दिशा निर्देश देकर जनमानस को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। विभाग में मानव संसाधन की उचित व्यवस्था करवाना है।	2017–18	योजना के सहयोग से चिकित्साधिकारी एवं फार्मासिस्ट पदों पर नियुक्ति/ पदोन्नति से चिकित्सालयों में मानव संसाधनों की कमी दूर होगी। जिसके उपरांत समस्त कार्यो का सम्पादन सुचारू रूप से किया जा सकेगा।	2017–18
2	अस्पताल तथा औषधालय (शहरी)	जनसामान्य को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बड़े चिकित्सालयों का निर्माण एवं स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण/	816.08	0	उत्तराखण्ड राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद स्तर पर कुल 398 पद स्वीकृत हैं, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वमान्य जनता को सस्ती, सुलभ एवं	2017–18	शहरी क्षेत्रों में द्वितीय तथा प्राथमिक स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे चिकित्सा सुविधा उपरांत जनमानस स्वास्थ्य होने पर अपने समस्त कार्यो का सम्पादन सुचारू रूप से कर सकेगा।	2017–18

		उच्चीकरण करना।			कारगर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।			
3	अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण)	जनसामान्य को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बड़े चिकित्सालयों का निर्माण एवं स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण/ उच्चीकरण करना।	1646.00	0	• उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की जानी है। • सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में जनमानस को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु गढ़वाल एवं कुमाऊ मंण्डल में एक–एक सचल चिकित्सा वाहन उपलब्ध कराया जाना है।	2017–18	ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीय तथा प्राथमिक स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। पुरूष, महिलाओं एवं बच्चों के लिये औषधियां सरल एवं सुरक्षित है, जिससे उनपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वस्थ होने के उपरांत समस्त कार्यो का सम्पादन सुचारू रूप से करेगा। सचल चिकित्सा वाहन द्वारा उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनमानस को चिकित्सा सुविधा दी जायेगी जहां पर किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो।	2017–18
4	जनजाति उपक्षेत्र योजना(टी. एस.पी.)	उत्तराखण्ड के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना ।	20.27	0	जनजाति उपक्षेत्र योजना(टी. एस.पी.) के अन्तर्गत तीन पद स्वीकृत है, जिनके द्वारा कालसी क्षेत्र में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालय द्वारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की जनता को सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।	2017–18	जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की जनता को सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी, जिससे जनमानस को स्वास्थ्य एवं निरोगी समाज की स्थापना कर सकेगें। स्वस्थ शरीर होने के उपरांत समस्त कार्यो का सम्पादन सुचारू रूप से कर सकेगा।	2017–18

5	अनुसूचित जाति कल्याण योजना (एस. सी.एस.पी.)	उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना।	0.16	0	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की जनता को सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।	2017–18	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की जनता को सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराना। स्वस्थ्य समाज की स्थापना कर पायेंगे।	2017–18
6	केन्द्र सहायतित योजनायें	जिला महिला चिकित्सालयों में स्थापित स्पेशल विंग से त्वचा विज्ञान रोगों का निदान	1178.30	0	होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषिधि एवं फर्नीचर आदि की आपूर्ति हेतु।	2017–18	होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधि एवं फर्नीचर आदि की आपूर्ति की जायेगी, जिससे चिकित्सा परीक्षण उपरांत रोगियों का बेहरत उपचार किया जा सके, तथा स्वस्थ्य समाज की स्थापना की जा सके।	2017–18